प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

20 दिसंबर, 2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2022 की प्रतिवेदन सं. 24 - संघ सरकार (सिविल) संसद के पटल पर प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2022 की प्रतिवेदन सं. 24- संघ सरकार (सिविल) आज संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के 28 सिविल मंत्रालयों/विभागों/संवैधानिक निकायों से संबंधित 54 अनुदानों के तहत वित्तीय लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं, जो उनके प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ-साथ बिना विधायिका वाले संघ शासित क्षेत्रों में भी है।

इस प्रतिवेदन में चार मंत्रालयों/विभागों, उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं विधायिकाओं के बिना दो संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित ₹348.57 करोड़ की अनियमितताओं के 24 उदाहरणात्मक मामले शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उजागर कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को नीचे संक्षेप में दिया गया हैः

विदेश मंत्रालय

- यद्यपि विदेश मंत्रालय (एमईए) ने नए प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड जारी करने हेतु दरों का संशोधन किया था फिर भी यूरो जोन के देशों ने इसका संशोधन नहीं किया था जबकि युनाइटेड किंगडम में 03 मिशनों/पोस्टों ने ओसीआई शुल्क प्रभारित करने हेतु विनिमय की निम्न दर को अपनाया जो ₹58.23 करोड़ की हानि का कारण बना। एमइए ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि विदेश मंत्रालय तथा विदेश में मिशन/पोस्ट दोनों विनिमय दर (आरओई) अस्थिरता के आधार पर स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में ओसीआई कार्य शुल्क से संशोधन हेतु उत्तरदायी है परंतु अनुदेशों की गलत व्याख्या के कारण ओसीआई योजना शुल्क का नियतन विदेश मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शित होगा, एक काल्पनिक राजस्व की हानि हुई है क्योंकि यूरोप में मिशन/पोस्ट ने स्थानीय मुद्राओं के लिए संशोधित आरओई को समय पर कार्यान्वित नहीं किया।
- विदेश मंत्रालय ने पेरिस (2011) तथा वाशिंगटन (2013) में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हेतु दो सम्पत्तियों की खरीद की थी परंतु इनका सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उपयोग हेतु समय से नवीकरण नहीं कराया जा सका था। अन्तर्निहित कमियों जैसे कि विशिष्ट संरचनात्मक मुद्दे तथा आईसीसी वाशिंगटन में अतिक्रमण के मामले के कारण सम्पत्ति की खरीद के साथ साथ इसके नवीकरण/मरम्मत पर किया गया कुल ₹41.93 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, ₹30.03 करोड़ की लागत पर प्रापण की गई आईसीसी पेरिस हेतु सम्पत्ति, एक नवीकरण-अधीन बिल्डिंग

के लिए एक स्थानीय सुरक्षा अभिकरण को नियुक्त करने पर ₹14.89 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ जून 2022 तक बिना उपयोग किए रही।

- भारतीय दूतावास (इओआई), बीजिंग ने बीजिंग में भारतीय दूतावास परिसर के निर्माण हेतु एक फर्म को नियुक्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इओआई, बीजिंग ने वृद्धि के कारण ₹8.53 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जबकि वृद्धि के संबंध में खंड संविदा के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, खराब लिफ्ट के मामले के कारण इसने तीन से पांच वर्षों के बीच की अवधि के लिए ठेकेदार के भुगतान को रोका जो ठेकेदार को ₹1.58 करोड़ के ब्याज के परिहार्य भुगतान का कारण बना।
- मंत्रालय ने किंगस्टन, जमैका में इण्डिया हाउस के नवीकरण को अनुमोदित किया तथा मिशन को सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार निविदा की प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का अनुदेश दिया। हालांकि मिशन ने बिना किसी अनुमान तथा कार्य-क्षेत्र के एकल बोली प्रणाली को अपनाकर बोलियां आमंत्रित की। मंत्रालय ने निविदा को रद्द किया तथा पुनः निविदा के पश्चात पूर्व चयनित ठेकेदार को कार्य सौंपा गया था। तथापि, दोनों बोलियों के बीच पांच महीनों की अवधि में ठेकेदार ने 16 से 175 *प्रतिशत* तक के बीच कीमतों की वृद्धि की। नवीकरण कार्य के प्रारम्भ के पश्चात् ठेकेदार को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य दिया गया था। मंत्रालयों के अनुदेशों तथा मौजूदा प्रावधानों जिसमें पुनः निविदा की आवश्यकता थी, की अवहेलना में इण्डिया हाउस में मरम्मत तथा नवीकरण कार्य के निष्पादन का परिणाम समय एवं लागत के बढ़ जाने में हुआ जो ₹51.76 लाख के परिहार्य व्यय के साथ कार्य के निष्पादन में तदर्थ दृष्टिकोण तथा ₹49.52 लाख की लागत के कार्य की सहमत मदों में मनमाने परिवर्तन में हुआ।

मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय

- मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय की राष्ट्रीय डेयरी योजना फेस-I (एनडीपी-I) के अधीन कृत्रिम गर्भाधान (एआई) डिलीवरी सेवाओं का प्राथमिक कदम एआई डिलीवरी के लिए व्यवहार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ-साथ लागत को कम करना था जिस पर राज्य सरकारें एआई डिलीवरी सेवाओं को बाहरी स्रोत से वित्त पोषित कर रही थी। एनडीपी-I की परियोजना संचालन समिति (पीएससी) ने श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी (श्रीजा एमएमपीसी) आंध्र प्रदेश को एआई डिलीवरी सेवाओं की उप-परियोजना की मंजूरी दी। तथापि, दोषपूर्ण नियोजन तथा प्रचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का उचित अध्ययन किए बिना परियोजना की मंजूरी का परिणाम उप-परियोजना में एआई सेवाओं की डिलीवरी में अतिव्याप्ति में हुआ जो समय से पूर्व इसके बंद होने तथा ₹2.74 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना।

गृह मंत्रालय

- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, महंगाई भत्ता घटक को मकान किराया भत्ता के कारण छूट का परिकलन करते समय वेतन में शामिल किया जाना है। तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने इस नियम का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम कुल ₹2.01 करोड़ की अधिक छूट तथा परिणामी आयकर की कम कटौती में हुआ।

- गृह मंत्रालय ने सितंबर 2016 में जयपुर सहित ग्यारह स्थानों के संबंध में पृथक परिवार आवास स्थान के निर्माण को अनुमोदित किया। सशस्त्र सीमा बल के अनुरोध पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने धामी कलां, जयपुर में ₹18.66 करोड़ की लागत पर पट्टा आधार पर एक प्लॉट हेतु 12,000 वर्ग मीटर (2.97 एकड़) हेतु एक आबंटन सह-मांग पत्र जारी (12 अप्रैल 2018) किया। सशस्त्र सीमा बल ने केवल 10 सितंबर 2018 को, लगभग पांच महीनों के विलम्ब के पश्चात, मंत्रालय को कथित प्लॉट के अधिग्रहण करने हेतु ₹18.66 करोड़ की संस्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ₹18.66 करोड़ के भुगतान को 28 सितबंर 2018 को जेडीए के पास जमा किया गया था जो भुगतान को देरी से जमा करने के लिए कुल ₹1.12 करोड़ के ब्याज लगाने का कारण बना।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से कार्यालय स्थान किराए पर लिया जिसे काम करने योग्य बनाने के लिए व्यापक नवीकरण की आवश्यकता थी। यद्यपि स्थान को दिसंबर 2020 से किराये पर लिया गया था फिर भी नवीकरण प्रक्रिया का प्रारम्भ केवल सितंबर 2021 में ही किया गया। इसका परिणाम दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 तक नौ महीने के किराए के प्रति कुल ₹13.26 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

- सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने 01 जुलाई 2017 से किराया मुक्त आवास भत्ते को समाप्त किया। फिर भी महानिदेशक पुलिस (डीजीपी), पोर्ट ब्लेयर तथा पुलिस अधीक्षक, मायाबंदर के कार्यालयों ने इसके उल्लंघन में यहां तक की 1 जुलाई 2017 के बाद भी इनके कार्यालयों के अधीन सेवारत पुलिस कार्मिक को लाईसेंस शुल्क संघटक को अदा करना जारी रखा। इसका परिणाम उक्त दो कार्यालयों के संबंध में जुलाई 2017 से नवम्बर 2019 तक की अवधि के लिए किराया मुक्त आवास स्थान के एवज में कुल 2.57 करोड़ के लाईसेंस शुल्क के अनियमित भुगतान में हुआ।

यूटी-चण्डीगढ़ प्रशासन (व्यय तथा राजस्व)

- कार्यालय महानिदेशक पुलिस, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ में लेखापरीक्षा ने आंतरिक एवं आईटी नियंत्रणों में कमियों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की ओर से भारी लापरवाही को उजागर किया। वेतन एवं भत्ते, एलटीसी तथा अन्य लाभों के कारण पुलिस कार्मिक को कुल ₹1.60 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान के अवसर पाए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद उनसे ₹1.10 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी।
- जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में जीएसटी प्रतिदायों पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं को उजागर किया जिनमें अन्य बातों के साथ साथ अस्वीकार्य प्रतिदाय प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही एवं रोकड़ खाता बही को डेबिट न करने के कारण अनियमित प्रतिदाय प्रदान करना, आईडीएसटी, सीजीएसटी एवं यूटीजीएसटी को डेबिट आदेश का गैर-अनुपालन, पूर्व एवं पश्च आटोमेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जीएसटी प्रतिदाय मामलों में पावती जारी न करना/समय के भीतर जारी न करना, निर्धारित समय के भीतर जीएसटी प्रतिदायों को संस्वीकृत न करना तथा अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण शामिल था।

- चण्डीगढ़ प्रशासन ने 1960 तथा 1970 दशकों के दौरान सेक्टर 17-ई में सरकार द्वारा निर्मित दुकानों (एससीओ)/बूथों को पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया। प्रदान किए गए पट्टे का प्रत्येक पांच वर्षो के बाद किराये में 20 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ नवीकरण किया जाना था। इन एससीओ का किराया 1992 में ₹14000/- प्रति माह तक बढ़ाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रेणी 'ए' के अंतर्गत सेक्टर 17-ई में 18 दुकानों/बूथों के मामले में किराए का पुनः-निर्धारण करते समय संपदा अधिकारी ने किराये में वृद्धि हेतु निर्धारित चरणों को अनदेखा करते हुए दुकानों/बूथों का किराया निर्धारित किया तथा आधार किराया अर्थात ₹14000 पर सीधा 50 *प्रतिशत* की वृद्धि करते हुए पट्टा किराये को संशोधित किया। इसका परिणाम किराये के कम निर्धारण के कारण ₹9.37 करोड़ की सीमा तक राजस्व की हानि में हुआ।
- 1 जुलाई 2017 से वातानुकूलित स्टेज कैरिज द्वारा यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी का उद्ग्रहण किया गया। तथापि, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) ने निर्धारित तिथि से स्टेज कैरिज यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी नहीं वसूला। सीटीयू को भारत की समेकित निधि से अपनी निधियों का उपयोग करते हुए उसे जमा करना था, जिसका परिणाम सरकारी राजकोष से ₹5.89 करोड़ के अपरिहार्य भुगतान में हुआ।
- चण्डीगढ़ परिवहन प्राधिकरण ने मूल जांचे जैसे लाइसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जांच, यात्राओं का विवरण, लाइसेंसधारी के नियंत्रण में सभी टैक्सियों का विवरण आदि नहीं की। परिणामस्वरूप, टैक्सी की संख्या में वृद्धि एवं उद्ग्रहण किए जाने वाले परिणामी राजस्व पर ध्यान नहीं दिया। मूल जांचें करने के लिए लाईसेंसिंग प्राधिकरण की असफलता का परिणाम ₹4.23 करोड़ के लाइसेंस शुल्क एवं प्रवेश शुल्क के कम उद्ग्रहण में हुआ।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने स्पष्टीकरण जारी किया कि आकस्मिक छुट्टी का बिल्कुल भी नकदीकरण नही किया जाना चाहिए एवं कैलेंडर वर्ष के अंत में यह कालातीत हो जाएगी। तथापि, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) के निदेशक मंडल ने अप्रयुक्त बीमारी छुट्टी एवं आकस्मिक छुट्टी को कर्मचारी के अर्जित छुट्टी खाते में जोड़ने तथा 300 दिनों से अधिक अर्जित छुट्टी के स्वतः नकदीकरण को अनुमोदित किया। ये संशोधन सीएल एवं एसएल के नकदीकरण पर डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में थे तथा जिसका परिणाम अप्रत्यक्ष ढंग में सीएल एवं एसएल के नकदीकरण में हुआ। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक ₹13.17 करोड़ की अतिरिक्त भविष्य देयता करते समय ₹8.07 का अनियमित भुगतान किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित तथ्यों से सहमति व्यक्त की।
- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) कृषि उत्पादों से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उत्पादों तक के उत्पादों के लिए एकीकृत वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख बाजार सुविधाकर्ता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीडब्ल्यूसी के पक्ष में स्वत्व/पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए 42 मामले लंबित थे, जिन्हें 1964 से 2012 के दौरान अधिग्रहित किया गया था। विभिन्न सरकारी प्राधिकरियों/विभागों के साथ विवादों के कारण विलेखों के गैर-निष्पादन का अधिकतम ₹66.66 *प्रतिशत* लम्बित था। आगे, 95 स्थानों में ₹721.46 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पांच वर्ष या और अधिक वर्ष पहले किया गया था, लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था और भूमि के कुछ हिस्से 31 मार्च 2021 तक खाली रहे थे। इसके अतिरक्त, खाली

भूमि के अनुपयोग के कारण व्यापार के अवसर की कमी, पट्टा किराए का अपरिहार्य भुगतान, भूमि के उपयोग/अभ्यर्पण करने में अनिर्णय के कारण हानियां, जयपुर में कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय, विलंबित भुगतान प्रभारों का परिहार्य भुगतान, आवासीय फ्लैटों के प्रबंधन में अनिमितताएं तथा भूमि अभिलेखों के गैर-समाधान भी पाए गए थे।

BSC/TT/93-22